(21)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
विवेक ज्ञान स्थलीय एकेडमी गूम चीनी
लखीमपुर, खीरी।

पत्रांकः ई0/मान्यता/ 1381–18 /2018–19 दिनांकः– 06 नवम्बर, 2018

विषयः निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर–खीरी आपके विद्यालय को वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्ययधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रुप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम–2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 (उपाबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के **25** प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा उसके पूरा हो जाने पर उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चत करेगाः

(I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है।

(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 क 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय की लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक (06) 2018 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएँ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. शासनादेश दिनांक 08.5.2013 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(बुद्ध प्रिय सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी

पृ0 सं0 व दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
3. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4. अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
6. जिला समाज कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी लखीमपुर-खीरी।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर खीरी

पत्रांकःमान्यता/ 314 /2023–24 दिनांक 13/4/ 2023

प्रबन्धक,
विवेक ज्ञान स्थलीय एकेडमी
गूम चीनी लखीमपुर खीरी

आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2023 एवं शपथ पत्र दिनांक 23.03.2023 के आधार पर व शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर (15) **"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गई है।"** एवं शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019, शासनादेश संख्या–196/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 तथा शि0नि0(बे0)/80970–81314/2020–21 दिनांक 23 फरवरी, 2021 में निहित व्यवस्थानुसार विद्यालय का संचालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। भविष्य में यदि आपके विद्यालय के सम्बन्ध में किसी प्रकार का तथ्य गोपन पाया जाता है तो विद्यालय के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर खीरी

PRINCIPAL
VIVEK GYAN STHALI ACADEMY
Goomchini, Lakhimpur-Kheri

MANAGER
VIVEK GYAN STHALI ACADEMY
Goomchini, Lakhimpur-kheri